

गैरयोजना

बिहार सरकार

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

सं०-1/अनु०जा०जनजा०पुस्तक अधि०-14-63-01/12- 99

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक।

सेवा में,

सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 16.02.17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजना मद से बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये नये अभियंत्रण, पोलिटेकनिक, कृषि, पशु चिकित्सा, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा प्राक् परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार पुस्तक अधिकोष की स्थापना हेतु अनु० जाति के लिये ₹16.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिये ₹6.00 लाख अर्थात् कुल ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या-52 दिनांक-19.10.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजना मद से बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये नये अभियंत्रण, पोलिटेकनिक, कृषि, पशु चिकित्सा, चिकित्सा महाविद्यालयों तथा प्राक् परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार पुस्तक अधिकोष की स्थापना हेतु अनु० जाति के लिये ₹16.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिये ₹6.00 लाख अर्थात् कुल ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार संलग्न विवरणी के अनुसार अनु० जाति के लिये ₹16.00 लाख एवं अनु० जनजाति के लिये ₹6.00 लाख अर्थात् कुल ₹22.00 लाख (बाईस लाख रु०) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2- अनुसूचित जाति के लिये कुल भारित व्यय की राशि ₹16.00 लाख ( सोलह लाख रु०) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत मांग संख्या-44 में आय व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष 0008-पुस्तक अधिकोष की स्थापना-विषय शीर्ष-13 01-कार्यालय व्यय विपत्र कोड सं०-एन2225012770008 के अन्तर्गत विकलनीय है।

अनुसूचित जनजाति के लिये कुल भारित व्यय की राशि ₹6.00 लाख (छः लाख रु०) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत मांग संख्या-44 में आय व्यय मुख्य शीर्ष "2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0001- छात्रवृत्तियां और वृत्तियां- विषय शीर्ष-13 01-कार्यालय व्यय-विपत्र कोड सं०-एन 2225022770001 के अन्तर्गत विकलनीय है।


3- इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित उपविकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

4- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय आवंटनादेश तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

6- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

  
(वीरेन्द्र कुमार)  
निदेशक।

ज्ञापांक-1/अनु0जा0जनजा0पुस्तक अधि0-14-63-01/12-99 पटना, दिनांक-16.02.12  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/सभी  
संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित  
जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उपविकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमण्डलीय उपनिदेशक  
कल्याण/सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों/लेखा शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण  
विभाग/ सांख्यिकी कोषांग अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0 बजट शाखा  
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति  
कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक  
16/02/12  
ज्ञापांक-1/अनु0जा0जनजा0पुस्तक अधि0-14-63-01/12-99 पटना, दिनांक-16.02.12  
प्रतिलिपि- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

निदेशक  
16/02/12

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैरयोजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये पुस्तक अधिकोष की स्थापना हेतु आवंटित राशि की विवरणी ।

क्रमांक	जिला का नाम	आवंटित राशि (रु० में)		योग
		अनु०जाति	अनु० जनजाति	
1	2	3	4	5
1	मुजफ्फरपुर	100000	37500	137500
3	दरभंगा	50000	18750	68750
4	भागलपुर	50000	18750	68750
5	पटना	150000	56250	206250
8	पुर्णिया	50000	18750	68750
9	गया	100000	37500	137500
11	सारण	100000	37500	137500
12	नालन्दा	50000	18750	68750
13	गोपालगंज	50000	18750	68750
15	बेगूसराय	50000	18750	68750
16	सहरसा	50000	18750	68750
17	कटिहार	50000	18750	68750
18	वैशाली	50000	18750	68750
19	रोहतास (सासाराम)	50000	18750	68750
20	शिवहर	50000	18750	68750
21	पूर्वी चम्पारण	50000	18750	68750
22	मधुबनी	50000	18750	68750
23	सीतामंठी	50000	18750	68750
24	मधेपुरा	50000	18750	68750
25	सुपौल	50000	18750	68750
26	समस्तीपुर	50000	18750	68750
27	मुंगेर	50000	18750	68750
28	लखीसराय	50000	18750	68750
29	शेखपुरा	50000	18750	68750
30	जमुई	50000	18750	68750
31	बांका	50000	18750	68750
32	कैमूर(भभूआ)	50000	18750	68750
		<b>1600000</b>	<b>600000</b>	<b>2200000</b>

(बाईस लाख रु०)मात्र

*Aug 2017*  
निदेशक

पत्रांक- 99 दिनांक-16.02.17 का अनुलग्नक ।